U'LFA's letter to United Nations

1441. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that ULFA functionaries have moved the United Nations through a letter to the United Nations Secretary General on 26th October, 1990 saying that Assam; be declared a colony of India; and

(b) if so, what steps Government are taking in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) As per news item appeared in 'Budh Bar' an Assamese weekly, ULFA had sent a petition addressed to the Secretary General, United Nations for declaring the State of Assam as independent Sovereign SRepublib ULFA has no locus-standi in the matter.

दूरदर्शन पर हिन्दी धारावाहिकों का प्रसारण

1442. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा नवम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990 तक कितने हिन्दी धारावाहिक टी० वी० पर दिखाये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक धारावाहिक से दूरदर्शन को कितना लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान टी०वी० धारावाहिकों के प्रसारण के लिये दूरदर्शन ने कोई नीति तैयार की है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) नवम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990 तक राष्ट्रीय नेटवर्क पर दूरदर्शन द्वारा हिन्दी में 35 धारावाहिक प्रसारित किये गये । उनके शीर्षक विवरण-I में दिये गये हैं । (नीचे देखिए)

(ख) दूरदर्शन के लेखे "लाभ-हानि आधार" पर नहीं रखे जाते हैं । दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माताओं/प्रायोजकों से केवल धारावाहिकों को आंबटित समय स्लाट पर यथा लागू प्रसारण फीस लेता है

(ग) सरकार ने बाहरी निर्माताओं से प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने, कार्रवाई करने और अनुमोदन करने हेतु संशोधित मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं । मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें विवरण-II में दी गई हैं ।

विवरण-I

नवम्बर 1989 से नवम्बर, 1990 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित प्रायोजित धारावाहिकों की सूची

क्र.सं.	शीर्षक
	रात्रि 9 बजे
1.	जमीन
2.	तेनालीराम
3.	साधना
4.	गुणीराम
5.	बसेरा
6.	सारा जहां हमारा
7.	युगान्तर
8.	लहू के फूल
9.	आखिरी दांव
10.	मैला आंचल
11.	हिमालय दर्शन
12.	कहां गये वो लोग

क्र.सं०	शीर्षक
13.	मुजरिम हाजिर
14.	एक कहानी
15.	मिस्टर योगी
16.	गौरव
17.	पंछी
18.	नुपूर
19.	कुछ खोया, कुछ पाया
20.	कब तक पुकारूं
21.	अलग
22.	बागले की दुनिया
23.	मंजिल अपनी अपनी

रात्रि 9.50 बजे

1. जानकी जासूस
2. बूंद बूंद

रविवार प्रातःकालीन

1. जंतर मंतर
2. पंचतंत्र से
3. रंग तरंग
4. महाभारत
5. सुपर सिक्स
6. विश्वामित्र
7. ये गुलिस्तां हमारा
8. लेखू
9. स्पेस सिटी सिगमा
10. परमवीर चक्र ।

विवरण–II

दिनांक 1–10–1990 से लागू प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें

1. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सरकार द्वारा दिनांक 1–10–1990 को जारी किये गये हैं । ये आगामी आदेशों तक अथवा उस समय तक, जब तक प्रसार भारती द्वारा नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं कर दिए जाते, इनमें से जो भी पहले हो प्रभावी होंगे ।

2. दूरदर्शन कुछ समय के वास्ते अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, आवश्यकतानुसार ऐसे विषयों तथा ऐसी किस्म के कार्यक्रमों के जो बाहरी निर्माताओं से बनवाए जाने आवश्यक समझे जाते हैं, प्रस्ताव आमंत्रित करता है । ऐसे प्रस्तावों के लिए आवश्यक अन्तराल पर प्रत्येक बार नेटवर्क पर उपयुक्त घोषणायें की जाती है ।

3. प्रायोजित कार्यक्रम के लिये प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी होगी :–

(क) कहानी का कड़ियों का ब्यौरा और निरूपण की स्थूल रूपरेखा ;

(ख) प्रत्येक कड़ी की पूर्ण रूपरेखा ;

(ग) कम से कम 4 कड़ियों का परिदृश्य लेख स्क्रिप्ट; और

(घ) निर्माण दल का पूर्ण विवरण ।

4. प्रत्येक प्रस्ताव के साथ प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 2000 रुपये का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर भेजा जायेगा और पुनर्विचार की अपील के 3000 रुपये होगा ।

5. प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को विषयवार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और इन प्रस्तावों को प्रत्येक विषय विशेष पर प्रायोजित कार्यक्रम के लिये काफी समय से दूरदर्शन की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा ताकि प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में प्रस्तावों का चयन किया जा सके ।

6. चयन समिति में संबंधित अपर/उप-महानिदेशक और सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैनल में से कम से

कम 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होंगी ।

7. ऐसा कोई भी निर्माता जिसका प्रस्ताव चयन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, अस्वीकृति पत्र प्राप्त होने से एक माह के अन्दर अन्दर पुनर्विचार के लिये अपील कर सकता है और अस्वीकृत प्रस्ताव पर पुनरीक्षण समिति द्वारा पुन-विचार किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

8. धारावाहिक की स्लाटिंग केवल तभी की जाती है जब पहली 4 कड़ियां हर प्रकार से संतोषजनक पायी जाती हैं ।

9. उपयुक्त संशोधनों के साथ ये मार्गनिर्देश प्रादेशिक केन्द्रों में प्रयोजित कार्यक्रमों पर भी लागू होते हैं ।

Non-payment of minimum wages *to* the employees *9i* Government Departments

1443. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mini mum Wages notified by Government are not being paid to the employees who are working in various Government De partments in the country;

(b) whether Government have receiv ed any representation from various La bour organisations regarding violation of peyment of minimum wages to the wor kers; and

fc) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI RAMJI LAL SUMAN); (a) The casual employees are paid pro rata wages at the rate of l/30th of the pay at the minimum of the relevant time scale plus DA for work of 8 hours a day if the work done by a casual worker is the same as that of a regular worker. In case the •work dona is different from the work done by regular employees, the casual worker is paid the minimum wages notified by the Ministry of Labour or the State/Union Territory Administration^ whichever is higher.

(b) and (c) A few representations were received from labour organisations during 1990 regarding violation of payment of minimum rates of wages to the workers. These representations were forwarded to the concerned authorities for necessary action under the Minimum Wages Act, 1948.

Visa to a former Diplomat of CDR

1444. SHRI G. G. SWELL; Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether a former diplomat of the erstwhile German Democratic Republic has been issued a long-term visa for stay in India and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBOOH (KANT SAHAY): According to the information available with the Foreigners (Regional Registration Office, New Delhi, no former diplomat of the erstwhile German Democratic Republic has applied for long-term visa to stay in India.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एम आई-8 हेलीकाप्टर का गायब हो जाना

1445. श्रीमती सत्या बहिन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक एम आई-8 हेलीकाप्टर 13 अगस्त, 1990 को निकोबार द्वीप समूह से गायब हो गया था ;

(ख) इस हेलीकाप्टर में कुल कितने अधिकारी/विमान कर्मचारी सवार थे और उनके नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं;